

न्यायालय सहायक केलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1042/2024

अनवान : –

1. सुभाषचन्द पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. प्रतापसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. दयाराम पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. धर्मवीर पुत्री मेहरचन्द जाति जाट साकिन भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. वेदप्रकाश पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88, 53, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 28/01/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रौही मौजा चक 1 के.एम. तहसील नोहर खाता संख्या 33/37 पत्थर नम्बर 223/385 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3/0.2530, 4/0.2530, 5/0.2530, 6/0.2530 कुल तादादी 1.0120 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 3 ता 4 संयुक्त खाता मे खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 को प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं खाता व लगान अलग किया जावे। वादी इसी अनुसार न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।


Lahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं अतः एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 5 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम व पुरानी जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त भूमि वादी की दादालाई खातेदारी भूमि है जो की वर्तमान में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा के नाम थी। प्रतिवादी स0 1 के कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण प्रतिवादी स0 1 अकेले के नाम दर्ज हो गयी। वाद भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 का प्रतिवादी स0 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। प्रतिवादी स0 3 ता 4 संयुक्त खाता मे खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि पैतृक होने के कारण वादी व प्रतिवादी स0 2 को प्रतिवादी स0 1 के साथ बहिब का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं खाता व लगान अलग किया जावे। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रौही मौजा चक 1 के.एम. तहसील नोहर खाता संख्या 33/37 पत्थर नम्बर 223/385 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3/0.2530, 4/0.2530, 5/0.2530, 6/0.2530 कुल तादादी 1.0120 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त वाद भूमि पैतृक भूमि होना साबित है वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी स0 1 के अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है वादी का कथन है कि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज भूमि पैतृक है इसलिए वादी व प्रतिवादी 1 ता 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रौही मौजा चक 1 के.एम. तहसील नोहर खाता संख्या 33/37 पत्थर नम्बर 223/385 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3/0.2530, 4/0.2530, 5/0.2530, 6/0.2530 कुल तादादी 1.0120 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी

स0 1 ता 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 28/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 1042/2024
अनवान : –

1. सुभाषचन्द पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. प्रतापसिंह पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. दयाराम पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. धर्मवीर पुत्री मेहरचन्द जाति जाट साकिन भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4. वेदप्रकाश पुत्र मेहरचन्द जाति जाट साकिन भुरानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
5. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।


– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1042 सन 2024 निर्णय दिनांक 28/01/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रौही मौजा चक 1 के.एम. तहसील नोहर खाता संख्या 33/37 पत्थर नम्बर 223/385 मुरब्बा नम्बर 2 किला नम्बर 3/0.2530, 4/0.2530, 5/0.2530, 6/0.2530 कुल तादादी 1.0120 हैक्टेयर में 1/3 हिस्सा भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में प्रतिवादी स0 1 के बजाय वादी व प्रतिवादी स0 1 ता 2 तीनों को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ...28/01/26..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर